

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

सरकार जरीचे रिपोर्ट पटवारी हल्का तुसारी वनाम बुद्धा रिदपाल पाटव तुसारी

प्रथम अर्तगत प्राप्त वनासबाइ फुकर

प्रकरण संख्या - RA/29/2018

निर्णय दिनांक :- 25/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वनाम तुसारी की आ.सं.नं. 454 कुल रकवा 1.01 किन्तु जमीन मण्डू में से 0-01 रकवा पर ही बुद्धा रिदपाल पाटव तुसारी पर अमानिद्वय से अतिक्रमण कर मकड़ी/बुद्धा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18

को उसके विरुद्ध याचनी कागजाती दिने जाने की रिपोर्ट गम ताईय भू.अ.निरी. तुसारी के द्वारा प्रस्तुत दिने जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर दिनांक आकर अतिक्रमी बुद्धा रिदपाल जाति पाटव दिवासी तुसारी को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 31 के तहत नोटिस जारी दिने गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर आदेश पत्रावली दिनांक मया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जवाब आदेश पेश दिनांक जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकवा आ.सं.नं. 454 रकवा 1.01 में से 0.01.

रकवा किस्म मण्डू/भरखर के नियमन में आया नहीं है किहाजा औरसायम बा अतिक्रमिल रकवा से वेदखल दिनांक जाने के आदेश दिनांक जो मया उक्त स्वरूप जमान 63 Pais का

50 गुणा 33/1 रकवा पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कागामी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी तहसीली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तुसारी भू.अ.निरी. फुकर

को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

आतिथिक - प. ह. रा. नं. 4 के पृष्ठ सं. 16 तम नं. 8 एवं 2018-19 पत्रावली नं. 321 को कायमी को पड़े

11/3/19 तहसीलदार कठुमार